भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार,
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30.09.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (ओआई) - 29/2024

विषय: तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. **फा. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर**: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे 'आवेदक ऐसोसिएशन' भी कहा गया है) ने आरएसपीएल लिमिटेड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे घरेलू उद्योग या आवेदक कंपनियां कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें रूस, तुर्की, यूएसए और ईरान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश (जिन्हें आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और और वास्तविक

क्षति का खतरा है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद "डाईसोडियम कार्बोनेट" है जिसे प्रसिद्ध रूप में ''सोडा ऐश'' के रूप में जाना जाता है और इसका सूत्र Na_2CO_3 है। सोडा ऐश एक सफेद क्रिस्टलीय जल में घुलनशील सामग्री है । इसे भारतीय उत्पादकों द्वारा दो रूपों में उत्पादित किया जाता है – लाइट सोडा ऐश और टेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर घनत्व का होता है जिसे या तो प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक ऐश सोडा के रूप में बताया जा सकता है। ये दोनों उत्पाद अनिवार्य रूप से समान हैं और आवेदक द्वारा दायर आवेदन में सभी प्रकार और रूप के सोडा ऐश शामिल हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत कोड 283620 के अधीन आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद संबंधी अपनी टिप्पणियां और पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथमदृष्ट्या संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाली अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया है। भागीदार उत्पादकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक अर्थात् तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएसी) मौजूद है।

8. आवेदक कंपनियों डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड और जीएचसीएल ने विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है। टाटा केमिकल्स का यूएसए में एक संबंधित उत्पादक है; हालांकि, इसने आधार वर्ष में केवल न्यूनतम मात्रा में आयात किया।

9. इसके अलावा, निरमा लिमिटेड का यूएसए में मेसर्स सीयरलेस वैली मिनरल्स (एसवीएम) नामक एक संबंधित उत्पादक भी है। भारत में विषयगत देशों से सोडा ऐश के कुल आयात, सभी स्रोतों से कुल आयात और कुल भारतीय उत्पादन को देखते हुए जांच अवधि में निर्यात काफी कम है।

10. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक कंपनियां नियम 2(बी) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग (कुल भारतीय उत्पादन का 98%) का गठन करती हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान हैं।

ङ. जांच की अवधि

12. जांच के लिए प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 (06 महीने) की है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 (9 महीने की अवधि) पर जांच अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच अवधि में 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 अप्रैल - सितंबर 2023 और जांच की अवधि शामिल होंगी।

च. कथित पाटन का आधार

यूएसए के लिए सामान्य मूल्य

13. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। अत: घरेलू उद्योग ने आईएचएस मार्केट: पीओआई के लिए सोडा ऐश मंथली में प्रकाशित कीमतों पर यूएसए में सामान्य मूल्य जांच करने के लिए भरोसा किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

तुर्की, रूस और ईरान (यूएई के जरिए) के के जरिए ईरान के लिए सामान्य मूल्य

14. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देशों में बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। अत: घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय मालभाडा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों के लिए केवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक है।

आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम है, जिससे घरेलू बाजार में कीमत में गिरावट आ रही है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी प्रवाह और आरओआई में गिरावट आ रही है। जांच अवधि में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ गया है और घरेलू उद्योग का हिस्सा घट गया है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयातों में वृद्धि की दर, संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमताओं और संबद्ध आयातों के कारण होने वाले मूल्य दमन को देखते हुए, आयातों से भौतिक क्षति का खतरा पैदा हो रहा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति तथा भौतिक क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in; consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की कार्रवाई से अवगत रहने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in;

consultant-dgtr@govcontractor.in; jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

33. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन का गोपनीय संस्करण सभी अन्य इच्छुक पक्षों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गोपनीय संस्करण को प्रसारित न करने पर इच्छुक पक्ष को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी